

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL PRINCIPAL
BENCH, NEW DELHI

Original Application No. 742/ 2024

IN THE MATTER OF:

Madan Sen

Applicant

Versus

State of Uttar Pradesh & Ors.

Respondents

I N D E X

Sr. No.	Particulars	Pages
1.	Reply on behalf of the of respondent No. 3 District Magistrate Jhansi, U.P. With affidavit	1-5
2.	Annexure R-1 Copy of the notice dated 10.01.2024	6
3.	Annexure R-2 Copy of the notice dated 25.04.2024	7
4.	Annexure R-3 Copy of the notice dated 04.05.2024	8
5.	Annexure R-4 Copy of the challan dated 04.05.2024	9
6.	Annexure R-5 Copy of the show cause notice for cancellation of lease dated 03.07.2024	10-11
7.	Annexure R-6 A copy of the inspection report dated 04.07.2024	12
8.	Annexure R-7 Copy of the notice dated 06.07.2024	13-14

- | | | |
|-----|---|-------|
| 9. | Annexure R-8
Copy of the final notice dated 02.08.2024 | 15 |
| 10. | Annexure R-9
True copy of the lease cancellation order
Dated 12.08.2024 | 16-19 |
| 11. | Annexure R-10
Copy of the complaint dated 19.07.2024 | 20 |

Filed by



[MUKESH VERMA]

Advocate for the respondent No. 2

Ch. No. 50, Old Block,

Supreme Court of India

New Delhi 110 001

Mob: 9810108098

E-mail: mvermadv@gmail.com

New Delhi

Filed on: 20.09.2024

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI.

Original Application No.742/2024

Madan Sen

...Applicant

Versus

State of Uttar Pradesh & Ors.

...Respondents

REPLY ON BEHALF OF RESPONDENT NO.2 DISTRICT MAGISTRATE



JHANSI UTTAR PRADESH

MOST RESPECTFULLY SHOWETH:

PRELIMINARY SUBMISSIONS: -

1. That the present application has been filed by the applicant Madan Sen under section 18 (1) read with section 14, 15, 16 and 17 of the National Green Tribunal Act, raising primary concern about illegal mining activities carried by respondent no.5 in the area village Manikpura Tehsil-Moth, district Jhansi. The District Magistrate Jhansi has been impleaded as respondent no.2 in above application.
2. That the lease for sand/Morrum situated on the Betwa river bed in land number 314 (section-01) area 4.750 hectares situated in village Manikpura Tehsil-Moth of district-Jhansi was approved/executed in favor of Shri Chandrapal Singh son of Shri Bhopal Singh for a period of 05 years (Date: 17.05.2023 to 16.05.2028) after the project proponent obtained Environmental Clearance (EC) dated 28.04.2023 issued by SEIAA,UP and Consent to operate (CTO) on dated 19.10.2023 issued by Uttar Pradesh Pollution Control Board, Lucknow.
3. That it is relevant to mention here that the tehsil level task force is constituted under the chairmanship of Sub Divisional Magistrate, tehsil-Moth and the mining lease in question was being inspected from time to time by the said tehsil level task force members on dated 05.01.2024, 22.04.2024 and 01.05.2024 in which violation of rules incorporated in the UP Minor Mineral (Concession) Rule, 2021 was found. Thereafter, as per the provisions mentioned in the said rule penalty was imposed over the leaseholder vide letter no. 1897/30MMC/ 2023-24 dated 10.01.2024 amounting of Rs. 10,50,000.00, letter number 67/30MMC/2024-25 dated: 25.04.2024 amounting of Rs. 5,25,000.00 and 104/30MMC/2024-25 dated 04.05.2024 amounting Rs.25,00,000.00 respectively and the same was recovered. **ANNEXURE R-1, 2, 3 &**

4 (pg. No. to)



4. That also a surprise inspection of the above-mentioned lease area was done on dated 27.06.2024 by a joint team of Revenue Department and Mining Department, in which repeated violation of Rules incorporated in the UP Minor Mineral (Concession) Rules, 2021 was found, due to which as per the provisions mentioned in the said rule penalty amounting Rs 13,77,400.00 was imposed over the leaseholder and show cause notice for mining lease cancellation was issued vide letter no-342 (1) / 30 MMC / 2024-25 dated: 03.07.2024.

ANNEXURE R-5 (pg. No. to)


5. That in regard to the above mining lease, OA No. 742/2024 was filed before this Hon'ble Tribunal Madan Sen vs. State Government of Uttar Pradesh and others which was heard by the Hon'ble Tribunal on 01.07.2024 and passed following order, the operative part of which is as follows: -

"The District Magistrate, Jhansi, Respondent No. 2 is directed to immediately seize the CCTV footage maintained by the project proponents and file copy thereof along with their response before the Tribunal."

In compliance with the above-mentioned order dated 01.07.2024, the mining lease area in question was inspected by a joint team of Revenue and Mining Department under the Chairmanship of Sub-Divisional Magistrate Moth on 04.07.2024 and presented the report on dated 04.07.2024, in which following was mentioned: -

- 1- There is a provision for complete ban on mining operations in the mining lease area in question during the monsoon season (from 1st July to 30th September). During investigation, mining operations were found to be closed in the mining lease area.
- 2- No recording camera/PTZ/CCTV camera was found installed around the mining lease area and site office/way-bridge. Apart from this, no person/machinery was found around the mining lease area and the site office was found locked." True translated copy of inspection report dated 04.07.2024 is annexed herewith and marked as **ANNEXURE R-6** (pg. No. to)

6. That as per the facts mentioned in the above submitted report dated 04.07.2024, since no recording camera/PTZ/CCTV camera was available in the mining lease area in question due to which no seizure was possible. Thereafter, to ensure the compliance of the order dated 01.07.2024 passed by this Hon'ble Tribunal, a notice was issued vide letter no- 344/ 30MMC/ 2024-25 dated 06.07.2024 to the concerned leaseholder and was directed to provide all the recordings of CCTV cameras and RFID scanners installed in the mining lease area. True translated copy of notice dated 06.07.2024 is annexed herewith and marked as **ANNEXURE R-7** (pg. No. to).



7. That in compliance of above-mentioned notice dated 06.07.2024 the concerned leaseholder submitted a reply on dated 20.07.2024 along with a pen drive enclosed. In which the leaseholder mentioned that "the applicant had installed PTZ camera in the area related to the approved mining lease. Since mining operations are completely prohibited in the monsoon season from dated 01.07.2024 to 30.09.2024, therefore the applicant had stopped work at the site from 26.06.2024 itself and the PTZ camera and other equipment were removed on 30.06.2024 and the site office was locked".
8. That the video footage provided in the pen drive attached with the above-mentioned reply dated 20.07.2024 was examined and it was found that the video clip available in the pen drive was divided into several parts that too without any date, time and location and also no continuous video recording clip was available in the said pen drive. Due to which reaching to a conclusion in compliance with the order 01.07.2024 passed by this Hon'ble Tribunal was not possible.

In view of the above-mentioned fact and to comply with the order passed by the Hon'ble Tribunal on dated 01.07.2024 a final notice was issued to the concerned leaseholder vide letter No.474/30MMC/2024-25 dated: 02.08.2024 and was again directed to provide a continuous video clip recording of PTZ camera installed in the leased area with the desired details (date, time and location). True translated copy of final notice dated 02.08.2024 issued to leaseholder is annexed herewith and marked as **ANNEXURE R-8** (pg No. to).


9. That in compliance with the above-mentioned final notice dated 02.08.2024 the concerned leaseholder did not submit any video clip recording of PTZ/CCTV camera of the lease area with the desired details (date, time and location). Apart from this, due to repeated violations of the rules incorporated in the UP Minor Mineral (Concession) Rule, 2021 noticed during above-mentioned inspections done by the tehsil level task force of the said lease area and also due to non-compliance of the final notice dated 02.08.2024 issued in order to ensure the compliance of the order passed by the Hon'ble Tribunal on 01.07.2024 the lease deed was cancelled and the concerned leaseholder (Shri.Chandrapal Singh son of Shri Bhopal Singh) was blacklisted for a period of two years. vide order no 512/30MMC/2024-25 dated-12/08/2024. True translated copy of lease cancellation order dated 12.08.2024 is annexed herewith and marked as **ANNEXURE R-9** (Pg. No. to).

10. That apart from this, in regard to the storage licenses mentioned in para 6 of OA it is relevant to mention that the storage license was approved under the provisions mentioned in the Uttar Pradesh Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules-2018, in



OT
m Kur
H. Q. J
ed. No
iled up

T.C



which Shri Arvind Singh Chauhan was granted storage license for a period of 02 years (06.06.2022 to 05.06.2024) for the storage of 10,000 cubic meters of morrum on area of 0.639 hectares in plot no- 1037/2 and 1038/2 in village and Tehsil Moth and another storage license was issued in favor of Shri Akhil Pratap Singh, for 16,000 cubic meters of morrum on area of 0.5600 hectares situated in plot No.-1032 of village and tehsil Moth for the period of 02 years (Dated-28.06.2023 to 23.06.2025). Apart from this, it is also worth mentioning that there is no legal restriction in granting storage license leaving a distance of 100 meters from the middle of the National/State Highway.


11. That apart from this, it is also relevant to mention that Shri Arvind Singh Chauhan on 25.05.2024 had applied for renewal of storage license which was valid till 05.06.2024. In order to examine whether the licensee complied with the conditions mentioned in the storage license order dated 06.06.2022. A joint committee of Revenue Department and Mining Department was constituted through letter number-260/30 MMC/2024-25 dated 10.06.2024.


The said constituted committee inspected the area in question on 06.07.2024 and submitted the report on 09.07.2024. In which the stockist Shri Arvind Singh Chauhan had not fully complied the conditions of the storage license dated 06.06.2022. In view of which, the renewal application submitted by Shri Arvind Singh Chauhan was rejected and 8,780.00 cubic meters of Morrum stored at the storage site was seized in favor of the State Government, and also for the disposal of the seized mineral through e-tender process, an application for seeking permission for the same is applied before the Hon'ble Chief Judicial Magistrate, Jhansi on 19.07.2024. True translated copy of complaint dated 19.07.2024 filed before the Court of Chief Judicial Magistrate Jhansi is annexed herewith and marked as **ANNEXURE R-10** (pg. No. to)

12. That the facts stated in the above reply are based on the information derived from official record as such they true and correct as per personal knowledge and belief of the deponent. No part of same is false and nothing material has been concealed therefrom.


Respondent

No.2


Through Counsel


(MUKESH VERMA)
ADVOCATE FOR RESPONDENT NO.2
Ch. No.50, Old Block
Supreme Court of India
New Delhi-110001
(M) 9810108098
E-mail: mvermadv@gmail.com

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI.

Original Application No.742/2024

Madan Sen

...Applicant

Versus

State of Uttar Pradesh & Ors.

...Respondents

AFFIDAVIT

I, Avinash Kumar aged about 41 years, District Magistrate, Jhansi presently at New Delhi do hereby solemnly affirm and state as under:-

1. That the deponent is posted in above capacity as such he is fully conversant with the facts of the case as such is competent to swear in this affidavit.
2. That I have read the accompanying reply to the Original Application No.742/2024 filed by applicant and understood the contents thereof the same are true and correct as per my personal knowledge and belief.
3. That the Annexures accompanying are true and correct copies of their respective originals.

Deponent

VERIFICATION:

I, the above named deponent do hereby verify that the contents of above affidavit are true and correct as per knowledge and belief, no part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

Verified at New Delhi this the ___ day of September, 2024.

Deponent



Case No 1061
I have certified that the foregoing statement
sworn before me this day at 19/09/2024
by Shri/Smt. Avinash Kumar
The contents of this affidavit have
been read over to the deponent and he
has identified by his name and
signature.

Ram Kumar Sharma
Advocate
19/09/2024
Notary Govt. of India

कार्यालय जिलाधिकारी, झाँसी।

(खनिज अनुभाग)

पत्रांक:- 1097/30एम0एम0सी0/2023-24

दिनांक 10/01/2023

नोटिस

श्री चन्द्रपाल सिंह पुत्र श्री भोपाल सिंह
निवासी-कृष्णा नगर कॉलोनी खेरा, गढियागांव,
तहसील व जनपद-झाँसी।

जनपद-झाँसी के तहसील-मोंठ स्थित ग्राम-मानिकपुरा के आराजी संख्या-314 (खण्ड-1) में 4.750 हे० क्षेत्र पर बेतवा नदी तल स्थित बालू/मोरम का नीलामी पट्टा 05 वर्ष (दिनांक: 17.05.2023 से दिनांक: 16.05.2028 तक) की अवधि हेतु आपके पक्ष में स्वीकृत है। कतिपय शिकायतों के आधार पर दिनांक: 05.01.2024 को ग्राम-मानिकपुरा में स्वीकृत बालू/मोरम के खनन पट्टे का निरीक्षण खान निरीक्षक, झाँसी द्वारा किया गया। निरीक्षण के दौरान मौके पर खनन पट्टा में सीमास्तम्भ अपने जी०पी०एस० बाण्ड्री कॉडीनेट वाले स्थान पर लगा हुआ नहीं पाया गया एवं प्रतिबन्धित मशीन (लिफ्टर) का प्रयोग नदी की जलधारा में किया जाना पाया गया जिससे नदी की जलधारा में अवैध खनन किये जाने के साक्ष्य पाया गया। निरीक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि वे-ब्रिज के समीप कोई बैरियर लगा हुआ नहीं पाया गया। आप द्वारा किया गया उक्त कृत्य उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-3, 36 एवं 42(ज) का स्पष्ट उल्लंघन है।


आप द्वारा ऊपर उल्लिखित नियमों के उल्लंघन किये जाने के कारण उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-58, 60(3) एवं 60(4) में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार प्रतिबन्धित मशीन लिफ्टर का प्रयोग किये जाने के कारण नियम-60(4) के अनुसार रू० 5,00,000.00, नदी की जल धारा में अवैध खनन किये जाने के कारण नियम-58 के अनुसार रू० 5,00,000.00 एवं सीमा स्तम्भ अपने निर्धारित स्थान पर न होने के कारण, वे-ब्रिज के समीप बैरियर न होने के कारण नियम-60(3) के अनुसार रू० 50,000.00 की धनराशि अधिरोपित की जाती है। इस प्रकार कुल रू० 10,50,000.00 (रूपया दस लाख पचास हजार मात्र) की धनराशि आप पर अधिरोपित की जाती है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि नोटिस प्राप्ति के 03 दिन के भीतर निर्धारित धनराशि खनिज के लेखाशीर्षक "0853 अलोह खनन धातुकर्म उद्योग" में जमा कर, जमा ट्रेजरी चालान की प्रति इस कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में आपके विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्यवाही की जायेगी जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।


(श्यामलता आनन्द)

अपर जिलाधिकारी, न्यायिक,


झाँसी।



पत्रांक व तददिनांक:

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ०प्र०, खनिज भवन, लखनऊ।
- 2- जिलाधिकारी, झाँसी।


अपर जिलाधिकारी, न्यायिक,
झाँसी।



कार्यालय जिलाधिकारी, झाँसी ।

(खनिज अनुभाग)

पत्रांक: 67/30एम0एम0सी0/2024-25

दिनांक 25/04/2024

नोटिस

श्री चन्द्रपाल सिंह पुत्र श्री भोपाल सिंह
निवासी-कृष्णा नगर कॉलोनी, खेरा गढियागांव,
तहसील व जनपद-झाँसी।

आपके पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टा के सम्बन्ध में दिनांक: 22.04.2024 को समय 11:43 AM बजे सोशल मीडिया प्लेटफार्म X पर ट्विटरकर्ता यूजर आईडी News1Indiatweet द्वारा किये गये पोस्ट के सम्बन्ध में दिनांक: 22.04.2024 को समय 04:00PM बजे ज्येष्ठ खान अधिकारी एवं खान निरीक्षक, झाँसी द्वारा निरीक्षण किया गया। प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्र की निरीक्षण आख्या निम्नवत् है:-

1. पट्टाधारक द्वारा अपने खनन पट्टा क्षेत्र में जल स्तर आ जाने के उपरान्त भी खनन किये जाने के चिन्ह पाये गये। जो उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-42(ज)(1) का स्पष्ट उल्लंघन है।
2. स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र में सीमास्तम्भ अपने निर्धारित जी0पी0एस0 बाउण्ड्री कॉर्डिनेट पर लगा हुआ नहीं पाया गया जो उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-36(1) का उल्लंघन है।
3. PTZ कैमरा लगा हुआ पाया गया तथा मौके पर खनन कार्य बन्द पाया गया।

उपरोक्तानुसार प्रस्तुत निरीक्षण आख्या के अनुसार आप द्वारा किया गया उक्त कृत्य अपने खनन पट्टा क्षेत्र में जल स्तर आ जाने के उपरान्त भी खनन किये जाने के चिन्ह पाये जाने व खनन पट्टा क्षेत्र के बाउण्ड्री कॉर्डिनेट्स पर सीमास्तम्भ न लगाये जाने का कृत्य उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-36(1) व 42(ज)(1) का स्पष्ट उल्लंघन है। जिसमें नियम-60(3) (प्रति अवसर पच्चीस हजार रुपये की धनराशि) के अन्तर्गत नियमानुसार रू0 25,000.00 की शास्ति शुल्क के रूप एवं नियम-60(4) (प्रति अवसर पाँच लाख रुपये की धनराशि) के अन्तर्गत रू0 5,00,000.00 की धनराशि अधिरोपित कर कुल धनराशि रू0 5,25,000.00 की अधिरोपित किये जाने हेतु जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिनांक: 24.04.2024 आदेश पारित किया गया।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि नोटिस प्राप्त के एक सप्ताह के अन्दर उपरोक्तानुसार निरीक्षण आख्या दिनांक: 22.04.2024 में उल्लिखित अनियमितताओं के सम्बन्ध में निर्धारित प्राविधानों के अनुसार शास्ति की कुल धनराशिरू0 5,25,000.00 खनिज के निर्धारित लेखाशीर्षक "अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग 0853" में जमा कर चालान की एक प्रति कार्यालय में उपलब्ध सुनिश्चित करें अन्यथा की स्थिति में शास्ति की अधिरोपित धनराशि की वसूली भू-राजस्व की भांति वसूल की जायेगी जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

अपर जिलाधिकारी(न्यायिक),
झाँसी।

पत्रांक व तद् दिनांक:

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशाल, उ0प्र0 लखनऊ सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. जिलाधिकारी, झाँसी।

अपर जिलाधिकारी(न्यायिक),
झाँसी।

कार्यालय जिलाधिकारी, झाँसी ।

(खनिज अनुभाग)

पत्रांक:- / 30एम0एम0सी0 / 2024-25

दिनांक 04/05 / 2024

नोटिस

श्री चन्द्रपाल सिंह पुत्र श्री भोपाल सिंह
निवासी-कृष्णा नगर कॉलोनी, खेरा गढियागांव,
तहसील व जनपद-झाँसी ।

जनपद-झाँसी के तहसील-मोंठ स्थित ग्राम-मनिकपुरा के आराजी संख्या 314, रकवा 4.750 हे० क्षेत्र आपके पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टा के सम्बन्ध में विभिन्न स्तरों से प्राप्त कतिपय शिकायतों का संज्ञान लेते हुए तहसील-मोंठ में नदी तल में संचालित खनन पट्टे का आकस्मिक निरीक्षण/छापेमारी की कार्यवाही तहसील स्तरीय टास्क फॉर्स टीम (राजस्व विभाग, पुलिस विभाग एवं खनिज विभाग) द्वारा उपजिलाधिकारी, मोंठ की अध्यक्षता में दिनांक: 01.05.2024 को किया गया। उक्त आकस्मिक निरीक्षण/छापेमारी के दौरान पाया गया कि "स्वीकृत पट्टा क्षेत्र में पाँच लिफ्टर मशीन होना पाया गया। आपका यह कृत्य उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 में उल्लिखित नियम-42(ज)(1) का उल्लंघन किया जाना पाया गया।"

उपरोक्तानुसार प्रस्तुत आकस्मिक निरीक्षण/छापेमारी आख्या के अनुसार आप द्वारा किया गया उक्त कृत्य अपने स्वीकृत पट्टा क्षेत्र में पाँच प्रतिबन्धित लिफ्टर होना पाया गया, का कृत्य उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के 42ज(1) का स्पष्ट उल्लंघन है। जिसमें नियम-60(4) (प्रति अवसर पाँच लाख रुपये की धनराशि) के अन्तर्गत रू० 5,00,000.00 की धनराशि अधिरोपित कर कुल धनराशि रू० 25,00,000.00 की अधिरोपित किये जाने हेतु जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिनांक: 03.05.2024 आदेश पारित किया गया।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि नोटिस प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर उपरोक्तानुसार निरीक्षण/छापेमारी आख्या दिनांक: 01.05.2024 में उल्लिखित अनियमितताओं के सम्बन्ध में निर्धारित प्राविधानों के अनुरार शास्ति की कुल धनराशि रू० 25,00,000.00 खनिज के निर्धारित लेखाशीर्षक "अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग 0853" में जमा कर चालान की एक प्रति कार्यालय में उपलब्ध सुनिश्चित करें अन्यथा की स्थिति में शास्ति की अधिरोपित धनराशि की वसूली भू-राजस्व की भांति वसूल की जायेगी जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

अपर जिलाधिकारी(न्यायिक),
झाँसी ।

पत्रांक व तद दिनांक:

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशाल, उ०प्र० लखनऊ सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. जिलाधिकारी, झाँसी।

अपर जिलाधिकारी(न्यायिक),
झाँसी ।

Amount recovered vide letter no- 1897/30MMC/2023-24 Dated- 10/01/2024

CHALLAN

(अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योग, उ०प्र०)

Government of Uttar PradeshUttar Pradesh Treasury Form-209(1) - Challan for Depositing Money
(To be submitted through Net-Payment)

Challan No.: AKV240003156	Challan Date: 07/02/2024
Assessment Year: 2023-2024	Tax Period: ONETIME
Name of the Bank:	
Unique Id:	
Depositor Name:	CHANDRAPAL SINGH
Depositor Address:	JHANSI

Head	Description	Serial No.	Amount (in Rs.)
085300102010000	खानेज रियायत शुल्क किराया और स्वत्व शुल्क	1	500000.00
	Totals of the above heads	--	500000.00

A SUM OF Rs. 500000.00 AGAINST THE HEADS MENTIONED ABOVE --[THROUGH NET-PAYMENT TRANSACTION]-- ON HAS BEEN DEPOSITED BY THE DEPOSITOR.
(Depositor Remarks-->REGARDING NOTICE NO 1897 30MMC DATED 10JAN2024 PANALTY VILL MANIKPURA GAIA NO 314 KHND 01)
THE BANK REFERENCE NO. RECEIVED AFTER THE TRANSACTION IS : CPADMSSNB1, Scroll Date:-07/02/2024

Amount recovered vide letter no- 1897/30MMC/2023-24 Dated- 10/01/2024

CHALLAN

(अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योग, उ०प्र०)

Government of Uttar PradeshUttar Pradesh Treasury Form-209(1) - Challan for Depositing Money
(To be submitted through Net-Payment)

Challan No.: AKV240007636	Challan Date: 26/03/2024
Assessment Year: 2023-2024	Tax Period: ONETIME
Name of the Bank:	
Unique Id:	
Depositor Name:	Chandrapal singh
Depositor Address:	

Head	Description	Serial No.	Amount (in Rs.)
085300102010000	खानेज रियायत शुल्क किराया और स्वत्व शुल्क	1	550000.00
	Totals of the above heads	--	550000.00

A SUM OF Rs. 550000.00 AGAINST THE HEADS MENTIONED ABOVE --[THROUGH NET-PAYMENT TRANSACTION]-- ON HAS BEEN DEPOSITED BY THE DEPOSITOR.
(Depositor Remarks-->Regarding notice no 1897 30 mmc dated 10012024 manikpura ghat aaraji no 314 khand 1 area 4.750 hec)
THE BANK REFERENCE NO. RECEIVED AFTER THE TRANSACTION IS : CPADQXXKU6, Scroll Date:-26/03/2024

Amount recovered vide letter no- 104/30MMC/2023-24 Dated- 04/05/2024

CHALLAN

(अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योग, उ०प्र०)

Government of Uttar PradeshUttar Pradesh Treasury Form-209(1) - Challan for Depositing Money
(To be submitted through Net-Payment)

Challan No.: AKV240010323	Challan Date: 05/05/2024
Assessment Year: 2024-2025	Tax Period: ONETIME
Name of the Bank:	
Unique Id:	
Depositor Name:	Chandrapal singh
Depositor Address:	Krishna Nagar colony Khera gariya gaoo jhansi

Head	Description	Serial No.	Amount (in Rs.)
085300102010000	खानेज रियायत शुल्क किराया और स्वत्व शुल्क	1	2500000.00
	Totals of the above heads	--	2500000.00

A SUM OF Rs. 2500000.00 AGAINST THE HEADS MENTIONED ABOVE --[THROUGH NET-PAYMENT TRANSACTION]-- ON HAS BEEN DEPOSITED BY THE DEPOSITOR.
(Depositor Remarks-->Regarding notice no 104 dated 04/05/2024 chandrapal singh gram manikpura aaraji no 314 area 4.750 hec)

Amount recovered vide letter no- 67/30MMC/2024-25 Dated- 25/04/2024

CHALLAN

(अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योग, उ०प्र०)

Government of Uttar PradeshUttar Pradesh Treasury Form-209(1) - Challan for Depositing Money
(To be submitted through Net-Payment)

Challan No.: AKV240012603	Challan Date: 30/05/2024
Assessment Year: 2024-2025	Tax Period: ONETIME
Name of the Bank:	
Unique Id:	
Depositor Name:	CHANDRAPAL SINGH
Depositor Address:	

Head	Description	Serial No.	Amount (in Rs.)
085300102010000	खानेज रियायत शुल्क किराया और स्वत्व शुल्क	1	525000.00
	Totals of the above heads	--	525000.00

A SUM OF Rs. 525000.00 AGAINST THE HEADS MENTIONED ABOVE --[THROUGH NET-PAYMENT TRANSACTION]-- ON HAS BEEN DEPOSITED BY THE DEPOSITOR.
(Depositor Remarks-->regarding notice no 67 30 MMC 2024 25 DATED 25042024 PENALTY MANIKPURA GHAI)
THE BANK REFERENCE NO. RECEIVED AFTER THE TRANSACTION IS : CPADVVFZT8, Scroll Date:-30/05/2024

कार्यालय जिलाधिकारी, झाँसी।

(खनिज अनुभाग)

पत्रांक:- 342(5)/30एम0एम0सी0/2024-25

दिनांक 03/07/2024

नोटिस

श्री चन्द्रपाल सिंह पुत्र श्री भोपाल सिंह
निवासी-कृष्णा नगर कॉलोनी, खेरा गढियागांव,
तहसील व जनपद-झाँसी।

आपके पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टा के सम्बन्ध में कतिपय शिकायतों के आधार पर दिनांक: 27.06.2024 को राजस्व विभाग एवं खनन विभाग के संयुक्त दल द्वारा जनपद-झाँसी के तहसील मोंठ स्थित ग्राम-मनिकपुरा के आराजी संख्या-314 (खण्ड-01) में रकवा-4.750 हेक्टेयर क्षेत्र पर 05 वर्ष की अवधि हेतु बालू/मोरम का खनन पट्टा स्वीकृत/संचालित है, का निरीक्षण किया गया। प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्र की निरीक्षण आख्या निम्नवत् है:-

1. प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्र में सीमास्तम्भ अपने जी0पी0एस0 बाऊडरी कॉर्डिनेट पर लगा होना पाया गया।
2. प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्र में पी0टी0जेड0 कैमरा लगा हुआ नहीं पाया गया।
3. प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्र में एक प्रतिबन्धित मशीन (लिफ्टर) पाया गया, जो पर्यावरणीय शर्तों का उल्लंघन है। उक्त प्रतिबन्धित मशीन (लिफ्टर) को मौके पर क्षतिग्रस्त कर दिया गया।
4. प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्र के बाहर पट्टाधारक द्वारा खनन कर बालू/मोरम भण्डारित किया जाना पाया गया जिसकी पैमाईस का विवरण निम्नवत् है:-

लम्बाई (मी० में)	चौड़ाई (मी० में)	ऊचाई (मी० में)	कुल मात्रा (घनमीटर में)
70.00	04.00	1.20	336.00 घनमीटर

उपरोक्त प्रस्तुत निरीक्षण आख्या के अनुसार आप द्वारा किया गया उक्त कृत्य यथा खनन पट्टा क्षेत्र में पी0टी0जेड0 कैमरा लगा हुआ नहीं पाया जाना, स्वीकृत क्षेत्र से बाहर प्रतिबन्धित मशीन लिफ्टर के माध्यम से अवैध खनन कर 390.00 घनमीटर भण्डारित किये जाने का कृत्य उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-3, 35, 36(1) व 42ज(1) का स्पष्ट उल्लंघन है। जिसमें सक्शन मशीन लिफ्टर के माध्यम से क्षेत्र के बाहर अवैध खनन किये जाने के कारण नियम-60(4) (प्रति अवसर पाँच लाख रुपये की धनराशि) के अन्तर्गत कुल रू0 5,00,000.00 की धनराशि, पर्यावरण शर्तों के उल्लंघन के कारण नियम-60(2) के अन्तर्गत 50,000.00 की धनराशि, पट्टा क्षेत्र में पी0टी0जेड0 कैमरा लगा हुआ नहीं पाये जाने के कारण नियम-60(3)(प्रति अवसर पच्चीस हजार रुपये की धनराशि) के अन्तर्गत नियमानुसार रू0 25,000.00 की शास्ति शुल्क के रूप में एवं क्षेत्र के बाहर अवैध खनन कर भण्डारित 336.00 घनमीटर बालू/मोरम पर रॉयल्टी के रूप में रू0 50,400.00 तथा खनिमुख मूल्य के रूप में रू0 50,400.00 X 5 = 2,52,000.00 की धनराशि व नियम-58 के अन्तर्गत रू0 5,00,000.00 की शास्ति शुल्क अधिरोपित कर कुल धनराशि रू0 13,77,400.00 अधिरोपित की जाती है।

इसी प्रकार पूर्व में भी प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्र में कार्यालय पत्र संख्या-1897/30एम0एम0सी0/2023-24 दिनांक: 10.01.2024 के माध्यम से निरीक्षण आख्या दिनांक: 05.01.2024 में उल्लिखित तथ्यों के क्रम में नोटिस निर्गत कर उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021 के नियम-3, 36 एवं 42(ज) का उल्लंघन पाये जाने पर नियम-58, 60(3) एवं 60(4) के अन्तर्गत रू0 10,50,000.00 की धनराशि अधिरोपित कर वसूल की कार्यवाही की गयी,

(2)


ANNEXURE R-5

(2)

प्रशनगत खनन पट्टा क्षेत्र का दिनांक: 22.04.2024 को भी आकस्मिक निरीक्षण किया गया। जिसमें उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली,2021 के नियम-36(1) व 42(ज)(1) का उल्लंघन आप द्वारा द्वितीय बार किया गया। जिसमें कार्यालय पत्र संख्या-67/30एम0एम0सी0/2024-25 दिनांक: 25.04.2024 के माध्यम से नोटिस निर्गत कर उक्त नियमावली के नियम-60(3) एवं 60(4) के अन्तर्गत रू0 5,25,000.00 की धनराशि अधिरोपित कर वसूल की गयी एवं पुनः कतिपय प्राप्त शिकायतों के आधार पर प्रशनगत खनन पट्टा क्षेत्र का दिनांक: 01.05.2024 को उपजिलाधिकारी,मोंठ की अध्यक्षता में (राजस्व विभाग, पुलिस विभाग एवं खनिज विभाग) आकस्मिक निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण आख्या में उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली,2021 के नियम-42(ज)(1) का उल्लंघन आप द्वारा तृतीय बार किया गया। जिसमें कार्यालय पत्र संख्या-104/30एम0एम0सी0/2024-25 दिनांक: 04.05.2024 के माध्यम से नोटिस निर्गत कर उक्त नियमावली के नियम-60(4) के अन्तर्गत रू0 25,00,000.00 की धनराशि अधिरोपित कर वसूल की गयी।


उपरोक्त से स्पष्ट है कि आप द्वारा उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-3, 35, 36(1), 36(2), 42ज(1) एवं पर्यावरण शर्तों तथा निष्पादित पट्टाविलेख में उल्लिखित शर्तों का उल्लंघन बार-बार किया जा रहा है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि नोटिस प्राप्ति के पन्द्रह कार्य दिवस के अन्दर उपरोक्तानुसार शस्ति के रूप में अधिरोपित धनराशि रू0 13,77,400.00 खनिज के निर्धारित लेखाशीर्षक "अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग 0853" में जमा कर चालान की एक प्रति कार्यालय में उपलब्ध कराते हुए इस सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण स्वयं अथवा अधिवक्ता के माध्यम से प्रस्तुत करें की वर्यो न उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली,2021 के नियम-61(1) के अन्तर्गत आपके पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टा के निरस्तीरण की कार्यवाही की जाय।


जिलाधिकारी,
झॉसी।
०१/०५/२४

पत्रांक व तद् दिनांक:



प्रतिलिपि:- निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशाल, उ0प्र0 लखनऊ सादर सूचनार्थ प्रेषित।


जिलाधिकारी,
झॉसी।
०१/०५/२४

संयुक्त जाँच आख्या

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित आवेदन संख्या-442/2024, मदन सेन बनाम उ0प्र0 राज्य सरकार जिसमें मा0 न्यायालय द्वारा दिनांक: 01.07.2024 को आदेश पारित किया गया, जो मा0 एन0जी0टी0 की अधिकारिक वेबसाईट पर दिनांक: 03.07.2024 को अपलोड हुआ। जिसका कार्यकारी अंश क्रमांक संख्या-06 में उल्लेख किया गया है कि "The District Magistrate, Jhansi Respondent No.2 is directed to immediately seize the CCTV footage maintained by the project proponents and file copy thereof along with their response before the Tribunal." उक्त आदेश के अनुपालन में उपजिलाधिकारी-मोंठ की अध्यक्षता में राजस्व विभाग एवं खनन विभाग की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक: 04.07.2024 को प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्र तहसील मोंठ स्थित ग्राम-मनिकपुरा के आराजी संख्या-314 (खण्ड-01) में रकवा-4.750 हेक्टेयर का निरीक्षण किया गया। उक्त किये गये निरीक्षण की बिन्दुवार आख्या निम्नवत् है:-

1. प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्र में मानसून सत्र (दिनांक: 01, जुलाई से दिनांक: 30, सितम्बर तक) में खनन संक्रियायें पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित होने के प्राविधान है। जांच के दौरान मौके पर खनन पट्टा क्षेत्र में खनन संक्रियायें बन्द पायी गयी।
2. खनन पट्टा क्षेत्र एवं साईट ऑफिस/वे-ब्रिज के आस-पास कोई भी रिकॉर्डिंग कैमरा/पी0टी0जेड0/सी0सी0टी0 कैमरा लगा हुआ नहीं पाया गया। इसके अतिरिक्त खनन पट्टा क्षेत्र के आस-पास कोई व्यक्ति/मशिनरी नहीं पायी गयी तथा साईट ऑफिस में ताला लगा हुआ पाया गया।
3. स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र में निरीक्षण फोटोग्राफ निम्नवत् है:-



आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

04.07.2024

खान निरीक्षक,
झाँसी।

उपजिलाधिकारी, मोंठ,
जनपद-झाँसी।

कार्यालय जिलाधिकारी झाँसी। (खनिज अनुभाग)

पत्रांक:- 344 / 30एम0एम0सी0 / 2024-25

दिनांक: 06 / 07 / 2024

नोटिस

श्री चन्द्रपाल सिंह
पुत्र श्री भोपाल सिंह
निवासी-कृष्णा नगर कॉलोनी, खेरा गढियागांव,
तहसील व जनपद-झाँसी।

कृपया मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित आवेदन संख्या-442/2024, मदन सेन बनाम उ0प्र0 राज्य सरकार जिसमें मा0 न्यायालय द्वारा दिनांक: 01.07.2024 को आदेश पारित किया गया। जो मा0 एन0जी0टी0 की अधिकारिक वेबसाईट पर दिनांक: 03.07.2024 को अपलोड हुआ, का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसका कार्यकारी अंश क्रमांक संख्या-06 में उल्लेख किया गया है कि "The District Magistrate, Jhansi Respondent No.2 is directed to immediately seize the CCTV footage maintained by the project proponents and file copy thereof along with their response before the Tribunal." उक्त आदेश के अनुपालन में उपजिलाधिकारी-मौठ की अध्यक्षता में राजस्व विभाग एवं खनन विभाग की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक: 04.07.2024 को प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्र का निरीक्षण किया गया। उक्त किये गये निरीक्षण में उल्लेख किया गया है कि:-

"1-प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्र में मानसून सत्र (दिनांक: 01,जुलाई से दिनांक: 30,सितम्बर तक) में खनन संक्रियायें पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित होने के प्राविधान है। जांच के दौरान मौके पर खनन पट्टा क्षेत्र में खनन संक्रियायें बन्द पायी गयी।"

2-खनन पट्टा क्षेत्र एवं साईट ऑफिस/वे-ब्रिज के आस-पास कोई भी रिकॉर्डिंग कैमरा/पी0टी0जेड0/सी0सी0टी0 कैमरा लगा हुआ नहीं पाया गया। इसके अतिरिक्त खनन पट्टा क्षेत्र के आस-पास कोई व्यक्ति/मशिनरी नहीं पायी गयी तथा साईट ऑफिस में ताला लगा हुआ पाया गया।"


उक्त प्रस्तुत आख्या के अनुसार प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्र में सीज किये जाने हेतु कोई रिकॉर्डिंग कैमरा/पी0टी0जेड0/सी0सी0टी0 लगा हुआ न होने के दृष्टिगत इस सम्बन्ध में उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-36(2) में उल्लिखित प्राविधान है कि "खनन पट्टाधारक जिसका खनन पट्टा 05 हेक्टेयर क्षेत्र से अधिक है, परिवहन के निगरानी के लिए, स्वयं के व्यय पर 360 डिग्री दृश्यता रिकॉर्डिंग के योग्य चार सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगाने सहित एक चेक पोस्ट/गेट का निर्माण करेगा। पट्टा धारक उक्त चेक पोस्ट/गेट पर आर0एफ0आई0डी0 स्कैनर भी रखेगा जिससे सम्बन्धित खनन पट्टाकृत क्षेत्र के परिवहन हेतु प्रयुक्त प्रत्येक वाहन के सापेक्ष निर्गत किये गये ई-प्रपत्र एम0एम0 11 पर अंकित बार कोड का डाटा पढ़ने एवं सुरक्षित रखने की सुविधा होगी और उसका समुचित रूप से रख-रखाव करेगा एवं सदैव उसे चालु रूप से अनुरक्षित रखेगा। पट्टा धारक उक्त सभी सी0सी0टी0वी0 कैमरे और आर0एफ0आई0डी0 स्कैनरों द्वारा की गयी समस्त रिकॉर्डिंग कम से कम 30 दिन तक रखेगा और



(2)


नियम-67 के उपबन्धों के अधीन यथा उपबन्धित प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष उक्त रिकॉर्डिंग उपलब्ध करायेगा।”

अतः मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित आवेदन संख्या-442/2024, मदन सेन बनाम उ0प्र0 राज्य सरकार जिसमें मा0 न्यायालय द्वारा दिनांक: 01.07.2024 पारित आदेश व उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-36(2) एवं नियम-67 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत आपको निर्देशित किया जाता है कि सभी सी0सी0टी0वी0 कैमरे और आर0एफ0आई0डी0 स्कैनर द्वारा की गयी समस्त रिकॉर्डिंग को तत्काल इस कार्यालय में स्वयं उपलब्ध कराते हुए सुपुर्द करना सुनिश्चित करें, ताकि प्रश्नगत प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जा सकें, अन्यथा की स्थिति में आपके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।


जिलाधिकारी,
झाँसी।

पत्रांक व तददिनांक:

प्रतिलिपि:- तहसीलदार-झाँसी को दो प्रतियां इस आशय से प्रेषित है कि, एक प्रति सम्बन्धित व्यक्ति को तामिल कराकर तामिला आख्या भिजवाना सुनिश्चित करें।


जिलाधिकारी,
झाँसी।

कार्यालय जिलाधिकारी, झाँसी।
(खनिज अनुभाग)

पत्रांक: 474 / 30एम0एम0सी0 / 2024-25

दिनांक: 02/08/2024

अन्तिम नोटिस

श्री चन्द्रपाल सिंह
पुत्र श्री भोपाल सिंह
निवासी- कृष्णा नगर कॉलोनी, खेरा गढियागांव,
तहसील व जनपद-झाँसी।

कृपया कार्यालय पत्र संख्या-344/30एम0एम0सी0/2024-25 दिनांक: 06.07.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा आपको नोटिस निर्गत करते हुए मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित आवेदन संख्या-442/2024, मदन सेन बनाम उ0प्र0 राज्य सरकार जिसमें न्यायालय दिनांक: 01.07.2024 पारित आदेश जो अधिकारी वेबसाईट दिनांक: 03.07.2024 को अपलोड किया गया, जिसका कार्यकारी अंश बिन्दु संख्या-6 में उल्लिखित आदेशानुसार एवं उपजिलाधिकारी मोंठ की अध्यक्षता में राजस्व एवं खनन विभाग की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक: 04.07.2024 को प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्र तहसील-मोंठ स्थित ग्राम-मनिकपुरा के आराजी संख्या-314 (खण्ड-1) रकवा 4.750 हेक्टेयर के सम्बन्ध में प्रस्तुत निरीक्षण आख्या दिनांक: 04.07.2024 में उल्लिखित तथ्यों के दृष्टिगत आपको निर्देशित किया गया कि खनन पट्टा क्षेत्र में स्थापित सी0सी0टी0वी0 कैमरे एवं आर0एफ0आई0डी0 स्कैनर द्वारा की गयी समस्त रिकॉर्डिंग को तत्काल इस कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त नोटिस दिनांक: 06.07.2024 के सम्बन्ध में आप द्वारा अपना प्रतिउत्तर मय पेनड्राइव दिनांक: 20.07.2024 द्वारा प्रेषित किया गया, जो इस कार्यालय को दिनांक: 23.07.2024 को प्राप्त हुआ है। जिसमें उल्लेख किया गया है कि "प्रार्थी के द्वारा स्वीकृत खनन पट्टे से सम्बन्धित क्षेत्र में पी0टी0जेड0 कैमरा लगाया था चूंकि मानसून सत्र दिनांक: 01.07.2024 से 30.09.2024 तक खनन संक्रियाये पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित है इसलिए प्रार्थी द्वारा स्थल पर दिनांक: 26.06.2024 से ही काम बन्द कर दिया गया था एवं पी0टी0जेड0 कैमरा व अन्य उपकरण दिनांक: 30.06.2024 को हटाकर साइट ऑफिस पर ताला लगा दिया गया था" तथा पी0टी0जेड0 कैमरे की रिकार्डिंग दिनांक: 01.06.2024 से 30.06.2024 संलग्नक के रूप में अंकित किया गया है।

उपरोक्त प्रस्तुत प्रतिउत्तर दिनांक: 20.07.2024 के साथ संलग्न पेनड्राइव में उपलब्ध करायी विडियो फुटेज का अवलोकन एवं परीक्षण किया गया। उक्त पेनड्राइव में रिकार्डिंग विडियो दिनांक: 01.06.2024 से 30.06.2024 तक कोई लगातार (Continuous) विडियो क्लिप उपलब्ध नहीं है, जबकि पेनड्राइव में उपलब्ध विडियो क्लिप कई भागों में विभाजित है, जिसमें दिनांक, टाईम व लोकेशन अंकित नहीं है। जिससे मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित आवेदन संख्या-442/2024, मदन सेन बनाम उ0प्र0 राज्य सरकार में न्यायालय द्वारा दिनांक: 01.07.2024 पारित आदेश का अनुपालन एवं किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना असम्भव होगा।

अतः आपको अन्तिम बार निर्देशित किया जाता है कि प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्र तहसील-मोंठ स्थित ग्राम-मनिकपुरा के आराजी संख्या-314 (खण्ड-1) रकवा 4.750 हेक्टेयर में लगे पी0टी0जेड0 कैमरा की रिकार्डिंग विडियो दिनांक: 01.06.2024 से 30.06.2024 तक की लगातार (Continuous) विडियो क्लिप वांछित विवरण के साथ उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ताकि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित आवेदन संख्या-442/2024, मदन सेन बनाम उ0प्र0 राज्य सरकार जिसमें न्यायालय दिनांक: 01.07.2024 पारित आदेश का अनुपालन किया जा सके अन्यथा की स्थिति में प्रश्नगत प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही अमल में लायी जायेगी, जिसके लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

अपर, जिलाधिकारी (न्यायिक),
झाँसी।

पत्रांक व तद् दिनांक:
प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1-जिलाधिकारी महोदय, झाँसी।

2-तहसीलदार, सदर को उपरोक्त नोटिस की दो प्रतियां इस आशय से प्रेषित कि उक्त नोटिस की एक प्रति सम्बन्धित व्यक्ति को तामील कराकर एक प्रति तामिली आख्या सहित इस कार्यालय को वापस भिजवाना सुनिश्चित करें।

अपर, जिलाधिकारी (न्यायिक),
झाँसी।

कार्यालय जिलाधिकारी, झाँसी ।

(खनिज अनुभाग)

पत्रांक:- 512/30एम0एम0सी0 / 2024-25

दिनांक: 12/08/2024

आदेश

जनपद-झाँसी के तहसील-मोंठ स्थित ग्राम-मनिकपुरा के आराजी संख्या 314 (खण्ड-01) रकवा 4.750 हे० क्षेत्र पर बेतवा नदी तल स्थित बालू/मोरम का नीलामी पट्टा 05 वर्ष (दिनांक:17.05.2023 से दिनांक: 16.05.2028 तक) की अवधि हेतु श्री चन्द्रपाल सिंह पुत्र श्री भोपाल सिंह निवासी-कृष्णा नगरकॉलोनी, खेरा गढियागांव तहसील व जनपद-झाँसी के पक्ष में स्वीकृत/निष्पादित है। उक्त स्वीकृत खनन पट्टा के पट्टा विलेख के भाग-02 के अनुसार जिला खनिज फाउण्डेशन न्यास की कुल धनराशि रू० 1151211.00 तथा टी०सी०एस० की कुल धनराशि रू० 113545.00 की देयता प्रत्येक माह के प्रथम दिवस को देय हो गयी थी। जिसे आप द्वारा समयान्तर्गत जमा नहीं किया गया। उक्त स्वीकृत खनन पट्टा के डी०एम०एफ० की धनराशि तथा टी०सी०एस० की धनराशि का विवरण एवं बकाया (मूल/ब्याज) की स्थिति निम्नवत् है:-

पट्टा वर्ष	देय धनराशि व तीथि का विवरण						बकाया एवं ब्याज की धनराशि का विवरण (डी०एम०एफ० पर ब्याज- 15 प्रतिशत वार्षिक)					
	किश्त		डी०एम०एफ०		टी०एस०एस०		किश्त		डी०एम०एफ०		टी०एस०एस०	
	धनराशि	ब्याज	धनराशि	ब्याज	धनराशि	ब्याज	धनराशि	ब्याज	धनराशि	ब्याज	धनराशि	ब्याज
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
प्रथम पट्टा वर्ष (23-24)	788500	78850	15770	788500	78850	-	-	-	-	3861	15770	-
	01.05.2023	01.05.2023	01.05.2023	01.05.2023	27.09.2023	-	-	-	-	-	-	-
	394250	39425	7885	394250	39425	-	-	-	-	1392	7885	-
	01.06.2023	01.06.2023	01.06.2023	31.05.2023	27.09.2023	-	-	-	-	-	-	-
	394250	39425	7885	394250	39425	-	-	-	-	-	7885	-
	01.10.2023	01.10.2023	01.10.2023	29.06.2023	27.09.2023	-	-	-	-	-	-	-
	394250	39425	7885	394250	39425	-	-	-	-	-	7885	-
	01.11.2023	01.11.2023	01.11.2023	30.06.2023	27.09.2023	-	-	-	-	-	-	-
	394250	39425	7885	394250	-	-	-	-	39425	4320	7885	-
	01.12.2023	01.12.2023	01.12.2023	01.12.2023	-	-	-	-	-	-	-	-
394250	39425	7885	394250	-	-	-	-	39425	3840	7885	-	
01.01.2024	01.01.2024	01.01.2024	30.01.2024	-	-	-	-	-	-	-	-	
394250	39425	7885	394250	-	-	-	-	39425	3360	7885	-	
01.02.2024	01.02.2024	01.02.2024	30.01.2024	-	-	-	-	-	-	-	-	
394250	39425	7885	394250	-	-	-	-	39425	2880	7885	-	
01.03.2024	01.03.2024	01.03.2024	30.01.2024	-	-	-	-	-	-	-	-	
394250	39425	7885	394250	-	-	-	-	39425	2400	7885	-	
01.04.2024	01.04.2024	01.04.2024	30.03.2024	-	-	-	-	-	-	-	-	
द्वितीय पट्टा वर्ष (24-25)	867350	867350	17347	867350	-	-	-	-	867350	1920	17347	-
	01.05.2024	17.05.2024	01.05.2024	23.05.2024	-	-	-	-	-	-	-	-
	433675	43368	8674	433675	-	-	-	-	43368	1440	8674	-
01.06.2024	01.06.2024	01.06.2024	28.05.2024	-	-	-	-	-	-	-	-	
433675	43368	8674	433675	-	-	-	-	43368	960	8674	-	
01.10.2024	01.10.2024	01.10.2024	28.05.2024	-	-	-	-	-	-	-	-	
योग									1151211	26373	113545	-

उपरोक्त तालिका के अनुसार डी०एम०एफ० के मद में ब्याज सहित रू० 1177584.00 एवं टी०सी०एस० के मद में रू० 113545.00 की धनराशि बकाया है। इस प्रकार कुल रू० 26,42,156.00 की धनराशि आपके ऊपर बकाया के रूप में देय है।

इसके अतिरिक्त कार्यालय पत्र संख्या-1897/30एम०एम०सी० / 2023-24 दिनांक: 10.01.2024 के माध्यम से निरीक्षण आख्या दिनांक: 05.01.2024 में उल्लिखित तथ्यों के क्रम में नोटिस निर्गत कर उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021 के नियम-3, 36 एवं 42(ज) का उल्लंघन प्रथम बार पाये जाने पर नियम-58, 60(3) एवं 60(4) के अन्तर्गत रू० 10,50,000.00 की धनराशि अधिरोपित कर वसूली की कार्यवाही की गयी, कार्यालय पत्र संख्या-67/30एम०एम०सी० / 2024-25 दिनांक: 25.04.2024 के माध्यम से निरीक्षण आख्या दिनांक: 22.04.2024 में उल्लिखित तथ्यों के क्रम में नोटिस निर्गत कर उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021 के नियम-36(1) व 42(ज)(1) का उल्लंघन द्वितीय बार पाये जाने पर नियम-60(3) एवं 60(4) के अन्तर्गत



रु0 5,25,000.00 की धनराशि अधिरोपित कर वसूली की कार्यवाही की गयी, पुनः कतिपय प्राप्त शिकायतों के आधार पर प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्र का दिनांक: 01.05.2024 को उपजिलाधिकारी, मोंठ की अध्यक्षता में (राजस्व विभाग, पुलिस विभाग एवं खनिज विभाग) आकस्मिक निरीक्षण किया गया, जिसमें 05 सक्शन मशीन (लिफ्टर) के माध्यम से खनन किया जाना पाया गया, जो उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021 के नियम-42(ज)(1) का उल्लंघन तृतीय बार पट्टाधारक द्वारा किया गया। जिसमें कार्यालय पत्र संख्या-104/30एम0एम0सी0/2024-25 दिनांक: 04.05.2024 के माध्यम से नोटिस निर्गत कर उक्त नियमावली के नियम-60(4) के अन्तर्गत रु0 25,00,000.00 की धनराशि अधिरोपित कर वसूल की गयी एवं कार्यालय में पत्र संख्या-342(I)/30एम0एम0सी0/2024-25 दिनांक: 03.07.2024 के द्वारा प्रश्नगत खनन पट्टे में कतिपय शिकायतों के आधार पर दिनांक: 27.06.2024 को राजस्व विभाग एवं खनन विभाग की संयुक्त दल द्वारा किये गये निरीक्षण में खनन पट्टा क्षेत्र में पी0टी0जेड0 कैमरा लगा हुआ नहीं पाया जाना, स्वीकृत क्षेत्र से बाहर प्रतिबन्धित मशीन लिफ्टर के माध्यम से अवैध खनन कर 390.00 घनमीटर भण्डारित किये जाने का कृत्य उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-3, 35, 36(1) व 42ज(1) का उल्लंघन पाये जाने पर नियम-58, 60(3) एवं 60(4) के अन्तर्गत रु0 13,77,400.00 की धनराशि अधिरोपित करते हुए उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-3, 35, 36(1), 36(2), 42ज(1) एवं पर्यावरण शर्तों तथा निष्पादित पट्टाविलेख में उल्लिखित शर्तों का उल्लंघन बार-बार किये जाने के दृष्टिगत उक्त नियमावली, 2021 के नियम-60(1) के अन्तर्गत पट्टा निरस्तीकरण क्यों न कर दिया जाय के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण स्वयं अथवा अधिवक्ता के माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया, जिसमें पट्टाधारक द्वारा दिनांक: 20.07.2024 को अधिवक्ता के माध्यम से प्रार्थना-पत्र इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया, जिसमें उल्लेख किया गया है कि

“(1) यह कि आप द्वारा प्रेषित नोटिस में कतिपय शिकायतों का हवाला दिया गया है परन्तु प्रार्थी की उन शिकायती प्रार्थना पत्रों को उपलब्ध नहीं कराया गया है। (2) यह कि नोटिस में दिनांक: 27.06.2024 को राजस्व विभाग एवं खनन विभाग की संयुक्त दल द्वारा जाँच किया जाना दर्शाया है परन्तु उक्त जाँच के पूर्व प्रार्थी को कोई सूचना नहीं दी गयी। (3) यह कि निरीक्षण आख्या प्रार्थी को उपलब्ध नहीं करायी गयी है। (4) यह कि नोटिस में अंकित निरीक्षण आख्या के प्रस्तर-2 में खनन पट्टा क्षेत्र में पी.टी.जेड कैमरा लगा हुआ नहीं पाया गया यह अंकित किया गया है। श्रीमान्जी प्रार्थी द्वारा स्वीकृत खनन स्थल क्षेत्र पर पी.टी.जेड. कैमरा लगाया गया था। साक्ष्य में फोटा संलग्न है। (5) यह कि नोटिस के प्रस्तर-3 में अंकित कथन प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्र में एक प्रतिबन्धित मशीन (लिफ्टर) पाया गया के सम्बन्ध में निवेदन करना है कि पूर्व में उक्त लिफ्टर मशीन को कब्जे में लेकर खनन विभाग द्वारा सील कर सुपुर्दगी अन्य व्यक्ति (ग्राम प्रधान) को दी गयी थी। उक्त लिफ्टर का प्रयोग खनन प्रक्रियाओं में नहीं किया गया है। उक्त आरोप बिना किसी साक्ष्य के लगाया गया है। (6) यह कि नोटिस के प्रस्तर-4 में अंकित कथन कि प्रश्नगत पट्टा क्षेत्र के बाहर पट्टाधारक द्वारा खनन कर बालू/मोरम भण्डारित किया जाना पाया गया है, के सम्बन्ध में निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा स्वीकृत खनन क्षेत्र के बाहर किसी प्रकार का कोई खनन नहीं किया गया है। उक्त आरोप किस आधार पर लगाया गया है के सम्बन्ध में कोई विवरण नहीं दिया गया है दर्शायी गयी मात्रा नियमानुसार खनन पट्टा स्वीकृत क्षेत्र से खनन किया गया है एवं उक्त खनिज की मात्रा के स्वामित्व का भुगतान किया गया है। (7) यह कि जबाव/स्पष्टीकरण से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी के द्वारा उपखनिज परिहार नियमावली-2021 के नियम-3,35,36(1) व 42(ज)(1) का कोई उल्लंघन नहीं किया है। (8) यह कि प्रार्थी के द्वारा सक्शन मशीन या लिफ्टर के माध्यम से खनन स्वीकृत क्षेत्र से बाहर जाकर या स्वीकृत क्षेत्र के अंदर उपरोक्त मशीन से कोई भी खनन नहीं किया गया है इसलिये प्रार्थी पर नियम-60(2) व 60(3) एवं 60(4) के अन्तर्गत कोई धनराशि आरोपित नहीं की जा सकती है। (9) यह कि प्रार्थी के द्वारा स्वीकृत खनन क्षेत्र के बाहर किसी प्रकार का खनन कार्य नहीं किया गया है। बिना किसी साक्ष्य के अवैध खनन का नोटिस दिया गया है इसलिये प्रार्थी पर उक्त आधार पर 336 घनमीटर बालू/मोरम की रायल्टी, खनिज मूल्य तथा शास्ति आरोपित नहीं की जा सकती है। (10) यह कि कतिपय शिकायतकर्ता जो कि पूर्व में अवैध खनन करते रहे हैं उनका अवैध खनन कार्य बन्द हो जाने के कारण रंजिशवंश शिकायतें करते रहते हैं शासनादेश अनुसार यदि उक्त शिकायतें शपथपत्र से समर्पित नहीं है तो उनका संज्ञान नहीं लिया जाना चाहिये। प्रार्थी की शिकायती प्रार्थना पत्र की गई जाँच लिये गये ब्यानों की प्रति प्रदान किया जाना कानूनन आवश्यक है जिससे कि प्रार्थी उनसे जिरह कर सके। प्रार्थी की जाँच आख्या भी प्रदान नहीं की गयी। समस्त कार्यवाही जाँच एक पक्षीय रूप से सम्पादित की गयी है जो साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है। (11) यह कि प्रार्थी द्वारा नोटिस में अंकित सभी आरोपों का जबाव दिया जा चुका है। प्रार्थी पर लगाये गये आरोप मिथ्या है व साक्ष्य से साबित नहीं है इसलिये उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-61(1) के अन्तर्गत कार्यवाही नहीं की जा सकती है।”

(3)

उपरोक्त प्रस्तुत उत्तर दिनांक: 20.07.2024 के सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत खनन पट्टाधारक को निर्गत नोटिस दिनांक: 03.07.2024 में निरीक्षण आख्या दिनांक: 27.06.2024 पूर्ण रूप से अंकित प्रेषित की गयी। प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्र में पी0टी0जेड0 कैमरा लगाये जाने सम्बन्धी कोई भी फोटोग्राफ/साक्ष्य संलग्न नहीं किया गया है। पट्टाधारक (श्री चन्द्रपाल सिंह पुत्र श्री भोपाल सिंह) द्वारा प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्र में कुल चार बार किये गये निरीक्षण दिनांक: 05.01.2024, 22.04.2024, 01.05.2024 व 27.06.2024 के अनुसार निष्पादित पट्टाविलेख की शर्तों एवं उपबन्धों का उल्लंघन तथा उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली,2021 के नियम-3, 35, 36(1), 42(ज)(1) का भी उल्लंघन किया गया है, जिसमें पट्टेधारक द्वारा निरीक्षण दिनांक: 05.01.2024, 22.04.2024 एवं 01.05.2024 में पायी गयी अनिमितताओं के कारण उक्त नियमावली,2021 के अन्तर्गत अधिरोपित शास्ति की धनराशि को जमा किया गया। जिससे स्वतः स्पष्ट है कि पट्टेधारक द्वारा पट्टाविलेख की शर्तों एवं उपबन्धों का उल्लंघन तथा उक्त नियमावली,2021 के नियम-3, 35, 36(1), 42(ज)(1) का भी उल्लंघन बार-बार किया जा रहा है, जो निरीक्षण आख्या दिनांक: 27.06.2024 फोटोग्राफ(साक्ष्य) सहित प्रस्तुत तथ्यों से भी स्पष्ट है।

इसके अतिरिक्त प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्र के सम्बन्ध में मा0 राष्ट्रिय हरित अधिकरण न्यायालय में योजित ओ0ए0 संख्या-442/2024 मदन सेन बनाम उ0प्र0 राज्य सरकार व अन्य में पारित आदेश दिनांक: 01.07.2024 जो अधिकारिक वेबसाईट पर दिनांक: 03.07.2024 को अपलोड किया गया, जिसका कार्यकारी अंश बिन्दु संख्या-06 के अनुपालन किये जाने एवं उपजिलाधिकारी मोंठ की अध्यक्षता में राजस्व एवं खनन विभाग की निरीक्षण दिनांक: 04.07.2024 में उल्लिखित तथ्यों के दृष्टिगत पट्टेधारक को कार्यालय पत्र संख्या-344/30एम0एम0सी0/2024-25 दिनांक: 06.07.2024 के द्वारा खनन पट्टा क्षेत्र में स्थापित सी0सी0टी0वी0 कैमरा एवं आर0एफ0आई0डी0 स्कैनर द्वार की गयी समस्त रिकार्डों को उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। जिसमें पट्टेधारक द्वारा दिनांक: 20.07.2024 को प्रत्युत्तर मय पेन-ड्राईव कार्यालय में प्रस्तुत किय गया, उक्त पेन-ड्राईव में रिकॉर्डिंग विडियो दिनांक: 01.06.2024 से 30.06.2024 तक कोई लगातार(Continuous) विडियो क्लिप उपलब्ध नहीं है, जबकि पेन-ड्राईव में उपलब्ध विडियो क्लिप कई भागों में विभाजित है। जिसमें दिनांक, टाईम व लोकेशन अंकित नहीं है। जिससे मा0 राष्ट्रिय हरित अधिकरण में योजित आवेदन संख्या-442/2024 में न्यायालय द्वारा दिनांक 01.07.2024 को पारित आदेश का अनुपालन एवं किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना असम्भव न होने के दृष्टिगत पट्टेधारक को पुनः प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्र की लगातार(Continuous) विडियो क्लिप वांछित विवरण के साथ उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय पत्र संख्या:-474/30एम0एम0सी0/2024-25 दिनांक: 02.08.2024 के माध्यम से अन्तिम नोटिस निर्गत किया गया। परन्तु पट्टेधारक द्वारा अब तक कोई विडियो रिकॉर्डिंग वांछित विवरण के साथ उपलब्ध नहीं कराया गया।

उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-61 में उल्लिखित प्राविधान निम्नवत् है:-



- (1) पट्टेदार द्वारा इन नियमों या पट्टे में दी गई या दी गई समझी जाने वाली शर्तों और प्रसंविदाओं के सिवाय उनके, जो स्वामित्व, भाटक या राज्य सरकार को देय अन्य धनराशियों के भुगतान से संबंधित हो, भंग या उल्लंघन किये जाने की दशा में राज्य सरकार पट्टेदार को अपना मामला बताने की युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् पट्टा समाप्त कर सकती है। यह अधिकार नियम-60 के उपबन्धों के अतिरिक्त होगा और इसका उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।
- (2) यदि उप नियम (1) अथवा नियम-59 के अधीन पट्टा समाप्त कर दिया जाता है तो पट्टेदार का जिलाधिकारी द्वारा दो वर्ष से अनधिक ऐसी अवधि के लिए जैसा कि वह उचित समझे, काली सूची में डाल सकता है, जो विभाग की वेबसाईट पर अपलोड की जायेगी और ऐसी अवधि के दौरान उसको इस नियमावली के अधीन कोई खनिज परिहार अनुमन्य नहीं होगा। इस संबंध में यथास्थिति, खनन पट्टे के रजिस्टर में या नीलामी रजिस्टर के अभ्युक्ति वाले स्तम्भ में एक प्रविष्टि अंकित कर दी जायेगी।

अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों के आलोक में पट्टाधारक द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन/प्रत्युत्तर दिनांक: 20.07.2024 आधारहीन, साक्ष्यविहीन, तथ्यों के परे हाने एवं सन्तोषजनक उत्तर न प्रस्तुत किये जाने तथा निष्पादित पट्टाविलेख की शर्तों एवं उपबन्धों का उल्लंघन, मा0 राष्ट्रिय हरित अधिकरण के आदेशों के उल्लंघन तथा उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली,2021 के नियम-3, 35, 36(1), 42(ज)(1) का भी उल्लंघन किये जाने के दृष्टिगत



प्रस्तुत स्पष्टीकरण को निरस्त करते हुये उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021 के नियम-61 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत निम्नलिखित आदेश पारित किये जाते हैं:-



- 1- जनपद-झाँसी के तहसील-मोंठ स्थित ग्राम-मनिकपुरा के आराजी संख्या 314 (खण्ड-01) रकवा 4.750 हैं० क्षेत्र पर बेतवा नदी तल स्थित बालू/मोरम का नीलामी पट्टा 05 वर्ष (दिनांक: 17.05.2023 से दिनांक: 16.05.2028 तक) की अवधि हेतु श्री चन्द्रपाल सिंह पुत्र श्री भोपाल सिंह निवासी-कृष्णा नगरकॉलोनी, खेरा गढियागांव तहसील व जनपद-झाँसी के पक्ष में स्वीकृत बालू/मोरम के उक्त नीलामी पट्टा को एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है।
- 2- पट्टाधारक द्वारा जमा प्रतिभूति की धनराशि रू० 9,85,625.00 को नोटिस दिनांक: 03.07.2024 में अधिरोपित धनराशि रू० 13,77,400.00 से समायोजित करने के उपरान्त शेष बकाया धनराशि रू० 3,91,775.00 को खनिज के निर्धारित लेखाशीर्षक "0853 अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग" में जमा करना सुनिश्चित करें। श्री चन्द्रपाल सिंह पुत्र श्री भोपाल सिंह द्वारा बकाया वांछित धनराशि निर्धारित समय से जमा नहीं किये जाने पर बकाया धनराशि को भू-राजस्व की भांति वसूल करने की कार्यवाही की जायेगी।
- 3- नियमावली के नियम-61(2) में उल्लिखित प्राविधानों के अधीन पट्टाधारक श्री चन्द्रपाल सिंह पुत्र श्री भोपाल सिंह निवासी-कृष्णा नगरकॉलोनी, खेरा गढियागांव तहसील व जनपद-झाँसी के नाम को दो वर्ष की अवधि हेतु काली सूची में डाला जाता है।
- 4- उपरोक्त तालिका के अनुसार जिला खनिज फाउण्डेशन न्यास (डी०एम०एफ०) के मद में ब्याज सहित रू० 1177584.00 एवं अग्रिम विलम्ब पर देय तिथि से 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित वसूल किये जाने हेतु पृथक से वसूली प्रमाण-पत्र (आर०सी०) निर्गत किया जाय।
- 5- उपरोक्त तालिका के अनुसार आयकर (टी०सी०एस०) की धनराशि रू० 113545.00 पट्टाधारक से वसूल करने के निमित्त अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करने हेतु आयकर विभाग को संसूचित किया जाय।


 जिलाधिकारी,
 झाँसी।


पत्रांक व तद् दिनांक:

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
- 2- निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ०प्र०, खनिज भवन, लखनऊ।
- 3- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, झाँसी।
- 4- अपर आयुक्त, आयकर विभाग, झाँसी को इस आशय से प्रेषित कि पट्टाधारक से टी.सी.एस(आयकर) की उक्त धनराशि रू० 113545.00 वसूल करने हेतु अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
- 5- अपर जिलाधिकारी(न्यायिक), झाँसी।
- 6- उपजिलाधिकारी/क्षेत्राधिकारी, मोंठ।
- 7- श्री चन्द्रपाल सिंह पुत्र श्री भोपाल सिंह निवासी-कृष्णा नगरकॉलोनी, खेरा गढियागांव तहसील व जनपद-झाँसी।


 जिलाधिकारी,
 झाँसी।


समक्ष माननीय न्यायालय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झाँसी।

परिवाद संख्या:— /2024

उ0प्र0 राज्य (की ओर से खान निरीक्षक, झाँसी).....परिवादी

विषय:— जब्त किये गये उपखनिज बालू/मोरम के भण्डारण को राजस्व हित में ई-टैण्डर के माध्यम से निस्तारण किये जाने हेतु आदेश प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में सविनम्र अवगत कराना है कि जनपद-झाँसी के तहसील-मोंठ स्थित ग्राम-मोंठ के आराजी संख्या-1037/2 व 1038/2 के 0.639 हेक्टेयर क्षेत्रफल पर पत्रांक:-332/30एम0एम0सी0/भण्डारण/2022 दिनांक: 06.06.2022 (संलग्नक-1) के माध्यम से 10,000.00 घनमीटर उपखनिज बालू/मोरम का भण्डारण श्री अरविन्द सिंह चौहान पुत्र श्री जगमोहन सिंह चौहान निवासी ग्राम-छपार, तहसील व जनपद-झाँसी के पक्ष में स्वीकृत है, जिसकी वैधता दिनांक: 06.06.2022 से दिनांक: 05.06.2024 तक थी। उक्त भण्डारण अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण किये जाने हेतु श्री अरविन्द सिंह चौहान द्वारा विभागीय पोर्टल माईन-मित्रा पर दिनांक: 25.05.2024 को ऑनलाईन आवेदन किया गया। उपरोक्त किये गये आवेदन के क्रम में पत्र संख्या-260/30एम0एम0सी0/2024-25 दिनांक: 10.06.2024 (संलग्नक-2) के माध्यम से राजस्व विभाग एवं खनन विभाग की संयुक्त समिति का गठन किया गया जिसमें आवेदक श्री अरविन्द सिंह चौहान पुत्र श्री जगमोहन सिंह चौहान द्वारा किये गये नवीनीकरण के आवेदन में पूर्व में स्वीकृत भण्डारण अनुज्ञप्ति में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन किया गया है अथवा नहीं की जांच किये जाने के निर्देश दिया गया था।

उक्त गठित समिति द्वारा प्रश्नगत क्षेत्र का निरीक्षण दिनांक: 06.07.2024 को किया गया। समिति द्वारा प्रस्तुत निरीक्षण आख्या दिनांक: 07.07.2024 में अवगत कराया गया है कि अनुज्ञप्ति धारक द्वारा अनुज्ञप्ति में अंकित शर्त संख्या-01, 02, 03, 04, 05, व 06 का अनुपालन नहीं किया गया। जिस कारण समिति द्वारा श्री अरविन्द सिंह चौहान द्वारा भण्डारण अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण हेतु किये गये आवेदन को निरस्त करने संस्तुति कर मौके पर भण्डारित उपखनिज मोरम की पैमाईश कर राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर श्री जितेन्द्र सिंह (श्री अरविन्द सिंह चौहान के मुंशी) पुत्र श्री प्रीतीपाल सिंह निवासी-रेव, तहसील-मोंठ, जनपद-झाँसी को मौके पर सुपुर्द किया गया एवं उक्त भण्डारण के सतत निगरानी हेतु थाना-मोंठ को सूचित किया गया। (संलग्नक-3) प्रश्नगत स्थल पर भण्डारित उपखनिज मोरम की पैमाईश निम्नवत् है।


1- जब्तशुदा उपखनिज के भण्डारण का विवरण:-

क्र० सं०	निरीक्षण का दिनांक:	भण्डारण स्थल का विवरण					भण्डारण स्थल की चौहद्दी				जब्त करने वाले अधिकारी /कर्मचारी का नाम	सुपुर्दगी में लेनेवाले का नाम व पता
		तहसील	ग्राम	आराजी संख्या	खनिज का नाम	मात्रा (घनमीटर में)	उत्तर	दक्षिण	पूरब	पश्चिम		
1	06.07.2024	मोंठ	मोंठ	1037/2 व 1038/2	बालू/मोरम	8,780.00	आ०स० 1037 व 1038 का शेष भाग।	आ०स० 1036 की सीमा।	आ०स० 1037 का शेष भाग व 1034 की सीमा।	आ०स० 1037 व 1038 का शेष भाग	तहसीलदार-मोंठ व खान निरीक्षक एवं सर्वेक्षक, खनिज विभाग, झाँसी	श्री जितेन्द्र सिंह पुत्र श्री प्रीतीपाल सिंह निवासी-रेव, तहसील-मोंठ, जिला-झाँसी। (अरविन्द सिंह चौहान के मुंशी)

- उपखनिजों का अवैध भण्डारण किया जाना खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम-1957 की धारा-4(1A) (संलग्नक-4) तथा उ0प्र0 खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2018 के नियम-3, (संलग्नक-5) में उल्लिखित प्राविधानों का उल्लंघन है।
- बालू/मोरम के उक्त भण्डारण को जब्तकर मौके पर मौजूद स्थानीय व्यक्ति/व्यक्तियों, जिसका विवरण उक्त तालिका के कॉलम-13 में अंकित है, की सुपुर्दगी में दिया गया।
- उपरोक्तानुसार जब्तशुदा कुल 8,780.00 घनमीटर उपखनिज बालू/मोरम के भण्डारण की जाँच एवं सुपुर्दगीनामा (संलग्नक-6) से सम्बन्धित अभिलेखों की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न है।
- खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम-1957 की धारा-21(4A) (संलग्नक-7) में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत उपरोक्तानुसार सीज किये गये उपखनिजों का निस्तारण मा० न्यायालय के आदेशानुसार किया जाना है।


अतः मा० न्यायालय से सविनम्र प्रार्थना है कि राजस्व हित में उपरोक्त जब्त की गयी कुल 8,780.00 घनमीटर उपखनिज बालू/मोरम के अवैध भण्डारण को पारदर्शिता एवं राजस्व हित के दृष्टिगत ई-टैण्डर के माध्यम से निस्तारण करने हेतु आदेश/अनुमति प्रदान करने की कृपा करें।

संलग्नक:-यथोक्त।


(अतुल दुबे)
खान निरीक्षक,
O/C झाँसी।

पत्रांक व तददिनांक:-

प्रतिलिपि:- ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी, मा० मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झाँसी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


खान निरीक्षक,
O/C झाँसी।